रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270529
CG-DL-E-26022026-270529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947
No. 145]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

फा. सं. एसएस-टी0एफए(नोटि.)/7/2025-स्टैंडर्ड-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, एतदद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी;

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीईए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ई मेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है ।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में, -

(1) विनियम (2) में परिभाषाओं से संबंधित उप-विनियम (1) में, खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्;

(ञ) ""खाद्य संपर्क सामग्री" से तात्पर्य है सक्रिय और बुद्धिमत्तापूर्ण सामग्री सहित कोई भी सामग्री, वस्तु और उत्पाद, जो भोजन के संपर्क में आने के लिए अभिप्रेत है और जिसका भोजन तथा स्वास्थ्य पर कोई अवांछनीय प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए;

(ट) "खाद्य श्रेणी संपर्क सामग्री" से तात्पर्य है कोई भी ऐसी सामग्री(याँ) जो खाद्य संपर्क सामग्री के निर्माण, प्रसंस्करण, रखरखाव (रसोई के बर्तन, मेज के बर्तन, आदि सहित), पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन के लिए उपयोग की जाती हैं, जो निर्धारित शर्तों के तहत विशिष्ट सुरक्षा मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और जिनसे मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो और न ही इनके कारण अभिप्रेत उपयोग के दौरान भोजन की संरचना और विशेषताओं में कोई अस्वीकार्य बदलाव आना चाहिए;

(ठ) "परिवर्तित वातावरण पैकेजिंग" से तात्पर्य है किसी ऐसे पैकेज में भोजन को रखना जिसमें पैकेज के अंदर के वातावरण को भोजन की प्रयोगावधि को बढ़ाने और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक इष्टतम वातावरण प्रदान करने हेतु संशोधित या परिवर्तित किया जाता है;

(ड) "खाद्य पैकेजिंग" से तात्पर्य उस पैकेज से है जिसका उपयोग कच्चे माल से लेकर प्रसंस्कृत भोजन तक, भोजन के समावेशन, संरक्षण, रखरखाव, वितरण, और भंडारण, परिवहन और प्रस्तुति के लिए उत्पादक से लेकर उपयोगकर्ता या उपभोक्ता तक, जिसमें प्रसंस्करणकर्ता, संयोजक या अन्य मध्यस्थ शामिल हैं, सबके द्वारा किया जाना है;

(ढ) "अप्रयोजित रूप से सम्मिलित पदार्थ (एनआईएएस)" अप्रयोजित रूप से सम्मिलित पदार्थ ऐसे रसायन हैं जो खाद्य संपर्क सामग्री (एफसीएम) या खाद्य संपर्क वस्तु (एफसीए) में मौजूद होते हैं, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी तकनीकी कारण से नहीं जोड़े जाते हैं;

(ण) "रोगाणु रहित पैकेजिंग" से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें संदूषण को रोकने के लिए रोगाणु रहित उत्पाद को एक रोगाणु रहित कंटेनर में भरा जाता है और रोगाणु रहित वातावरण में सील कर दिया जाता है।"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./722/2025-26]

नोट - मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 1-95/एसटीडीएस/पैकेजिंग/एसपी(एलएंडसी/ए)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 24 दिसंबर, 2018 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिमित बार अधिसूचना संख्या फा.सं.एसटीडी/एसपी-20/टी(रीसाइकिल्ड-एन) दिनांक 28 मार्च, 2025 के तहत संशोधित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2026

F. No. SS-T0FA(NOTI)/7/2025-Standard-FSSAI.— The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or may be sent by email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging)Amendment Regulations, 2026.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, -

(1) In regulation (2)relating to definitions in sub regulation (1), after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely;

(j) **““food contact material’’**means any material, including active and intelligent materials, article and product intended to come into contact with food and should not have any undesirable effect on the food and health;

(k) **“food grade contact material”**meansany material(s) that are used for manufacturing, processing, handling (including kitchenware, tableware, etc.), packaging, storage and transportation of food contact material should have demonstrated their compliance with specific safety standards under prescribed conditions and shall not endanger human and animal health and result in an unacceptable change in the composition and characteristics of food during its intended use;

(l) **“modified atmosphere packaging”** means enclosure of food in a package in which the atmosphere inside the package is modified or altered to provide an optimum atmosphere for increasing shelf life and maintaining food quality;

(m) **“food packaging”**meanspackage to be used for the containment, protection, handling, delivery, and storage, transport and presentation of food, from raw materials to processed food, from the producer to the user or consumer, including processor, assembler or other intermediary;

(n) **“non-intentionally added substances (NIAS)”** means non-intentionally added substances (NIAS) are chemicals that are present in a food contact material (FCM) or food contact article (FCA) but have not been added for a technical reason during the production process;

(o) **“aseptic packaging”**meansprocess where a sterilized product is filled into a sterilized container and sealed in a sterile environment to prevent contamination.”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./722/2025-26]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, dated the 24th December, 2018 and last amended vide notification number F.No. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N) dated the 28th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.26 21:39:22 +05'30'